न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 50/2015

जीसीएमएस नम्बर : 2015/00511

प्रार्थी:– रमेशकुमार पुत्र गीगाराम, जाति रेगर, निवासी कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत कण्टालिया जरिये सरपंच
2. केसाराम पुत्र धन्नाराम जाति रेगर निवासी कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
3. मोहम्मद असलम पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी मालीयों की हवेली सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश सिघांनिया।
2. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 11/12/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत कण्टालिया द्वारा मिसल संख्या 56/2000–01, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.06.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 केसाराम में पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2727 दिनांक 20.06.2002 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के दादा के समय से संयुक्त रूप से उपयोग–उपभोग की चली आ रही है, जिसका कभी भी विभाजन नहीं हुआ है उसके उपरान्त भी सम्पूर्ण आराजी का अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने नाम से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया, जिसमें उक्त संयुक्त आराजी के उत्तराधिकारियों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। जैर आराजी के मौके पर 74 बाई 50 वर्गफीट नाप का कोई भूखण्ड नहीं है और न ही पट्टे में अंकित पड़ौस मौके पर मौजूद है। अप्रार्थी ने पट्टे हेतु जो आवेदन पेश किया है उसमें न तो परिसर का नाप वर्णित है और न ही उस पर ग्रुप सचिव के हस्ताक्षर या पृष्ठांकन है। मौका निरीक्षण प्रपत्र में नियुक्त तीन पंचों के हस्ताक्षर नहीं है और न ही मौका निरीक्षण का कोई प्रस्ताव पारित किया गया। दिनांक 24.08.2001 की आदेशिका में सरपंच के रूप में प्रभुदयाल अरोड़ा के हस्ताक्षर है जबकि निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.08.2001 में सरपंच के रूप में मगाराम चौधरी के हस्ताक्षर है

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

तथा निरीक्षण प्रतिवेदन की दिनांक 27.03.2001 में भी कांट–छांट की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिक विक्रय का निर्णय ही नहीं लिया गया। बयान फार्म पर न तो कोई नाम अंकित है और न ही कोई हस्ताक्षर है। मौका रिपोर्ट अप्रार्थी की अनुपस्थिति में मंगवाई गई है परन्तु उक्त मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्य पट्टा जारी करने की स्थिति से अलग है। वादग्रस्त आराजी भूखण्ड के रूप में है जबकि जैर निगरानी पट्टा नियम 157 के तहत जारी किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से तैयार किया गया है जिसे खारिज फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (RAJ) 458, 2012 RRT 1265, 2017(2)DNJ (RAJ) 668; 2017(2)DNJ(RAJ) 730, 2009(2)DNJ(RAJ) 982, 2005(2)DNJ(RAJ) 963, 2012 RRJ 43, 2017 RRT 456, 2003 RRT(1) 136, 1996 DNJ (RAJ) 413, 2005(2)DNJ(RAJ) 963, 2002(1)RRT 63 पेश कर जैर निगरानी को खारिज करने निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी ने जैर निगरानी लगभग 13 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जिसमें देरीना का कोई युक्ति युक्त कारण पेश नहीं किया है। साथ ही प्रार्थी ने कथन किया कि जैर आराजी संयुक्त परिवार की है तो प्रार्थी उक्त निगरानी में कहा हितबद्ध पक्षकार है। जैर आराजी पर हमारा कब्जा, निवास व मकान होने की स्थिति में विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा हमारे पक्ष में जारी किया गया। प्रकरण में जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसे नजर अन्दाज करने का कथन अधिवक्ता प्रार्थी ने किया है। जैर निगरानी पट्टे हेतु ग्राम पंचायत द्वारा सही प्रक्रिया अपनाई गई है। अप्रार्थी द्वारा सरपंच के समक्ष आवेदन पेश किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा पहचान की गई है। आदेशिका दिनांक में कोई कांट–छांट नहीं की गई है तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों को नामित किया गया है जिन्हे मौका निरीक्षण हेतु निर्देशित किया था उसके उपरान्त यदि पंच मौका निरीक्षण प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते तो उसके लिये अप्रार्थी उत्तरदायी नहीं है। ग्राम पंचायत की कमेटी में कभी सरपंच तो कभी उपसरपंच अध्यक्षता करता है ऐसी स्थिति में सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। यदि पट्टे की राशि जमा नहीं होती तो यह विधिनुसार नहीं होता परन्तु उक्त प्रकरण में राशि जमा हो चुकी है तथा उक्त तथ्य दस्तावेज पर उपलब्ध है। पट्टा जारी होते समय वस्तुस्थिति अलग थी तथा इतने समय पश्चात् मौके की वस्तुस्थिति परिवर्तित हो चुकी है ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट अलग हो सकती है। बयान लिने का कार्य पंचायत का होता है और उसमें कोई गलती रह जाती है तो उसकी सजा अप्रार्थी को नहीं दे सकते है। जैर निगरानी पट्टे का वर्तमान में बेचाण हो गया है तथा ग्राम पंचायत की अनुमति से ही उक्त आराजी पर मकान बनाया व बिजली पानी के कनेक्शन लिये गये। जैर निगरानी पट्टा कानूनों के अनुरूप एवं पुराने कब्जे के अनुसार दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाई गयी है। इसलिये प्रार्थी द्वारा बिना किसी विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत कण्टालिया द्वारा मिसल संख्या 56/2000–01, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

20.06.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 केसाराम में पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2727 दिनांक 20.06.2002 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानी केवलमात्र हितबद्ध पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकता है परन्तु जैर निगरानी में प्रार्थी का कोई हित निहित नही है जबकि राज पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण ने जैर निगरानी 13 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जो म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य है, जिसके सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त RLW 2000(2) Raj 911 के अनुसार राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953, धारा 27–क सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961, नियम 272– अधिनियम या नियम के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों की अनुपस्थिति – नियम 272 के अन्तर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग– अभिनिर्धारित – न्यायोचित अवधि के भीतर प्रयोग करना चाहिए – न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी – न्यायालय केवल विधि की व्याख्या करते है न कि विधि का निर्माण करते है, जो कि अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनों का समर्थन नहीं करती है इसलिये जैर निगरानी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। साथ ही राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के नियम 97 के तहत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार की समयावधि निर्धारित नहीं की है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी उज्र किया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 28.08.2024 के अनुसार जैर भूखण्ड के मौके पर पश्चिम दिशा में दरवाजा स्थित है जबकि उक्त पट्टे में पश्चिम दिशा में तुलसीराम को बताया है। अधिवक्ता प्रार्थी के उक्त उज्र का खण्डन करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 2002 में जारी हुआ है और इस दरम्यान् मौके की भौतिक स्थिति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है इसलिये जैर निगरानी पट्टे के पश्चिम दिशा में दरवाजा है। मौका रिपोर्ट अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि जैर निगरानी पट्टे का क्षेत्रफल, मौके पर स्थित भूखण्ड के क्षेत्रफल से भिन्न है हालांकि जहा तक पट्टे की मौका स्थिति का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी के तथ्य, तर्कसंगत महसूस होते है परन्तु जहां तक पट्टे की वैधानिकता का प्रश्न है, उसे वर्तमान भौतिक स्थिति के आधार पर तय नहीं किया जाकर पट्टे को जारी करने में अपनाई गई प्रक्रिया के आधार पर तय किया जाना है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य कथन यह भी रहा कि जैर निगरानी भूखण्ड पर पट्टा जारी करने के दौरान कोई निर्माण कार्य नहीं था उसके

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने नियम 157 के तहत 200/– रूपये पर विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का विरोध करते हुये उज्र किया कि पट्टा जारी करने के दौरान उक्त भूखण्ड पर पुराना निर्माण कार्य किया हुआ था, जिसका पंचायत द्वारा विधिवत जांच करने के उपरान्त नियमों के अनुरूप पाये जाने पर हस्तगत पट्टा नियम 157 के तहत जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड अनुसार आदेशिका दिनांक 20.06.2002 में "अप्रार्थी का भूमि पर 50 वर्ष पुराना कब्जा होना अंकित"। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय मौके पर कोई मकान नहीं था तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड में भी ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे यह जाहिर हो सके कि जैर निगरानी भूखण्ड पर कोई मकान स्थित है अर्थात् ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत 2017(2) DNJ(Raj) 730 Mangilal Meghwal vs state में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि - Presence of old house at the spot is necessary for granting patta under Section 157 of the Rajasthan Panchayati Raj Act. तथा न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ(Raj) 668 भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना प्रस्तुत किया गया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया और न ही आवेदन प्रस्तुत करने की कोई दिनांक अंकित है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता हे कि आदेशिका दिनांक 22.02.2001, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को नक्शा तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु जो नक्शा तैयार किया गया है उस न तो सायल के कोई हस्ताक्षर है और न ही नक्शा तैयार करने की कोई दिनांक अंकित है। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये।

इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते जबकि निरीक्षण प्रतिवेदन पर नामित पंचों के न तो नाम अंकित है और न ही उनके हस्ताक्षर है अर्थात् प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। हस्तगत प्रकरण में गवाहों के जो बयान लिये गये है उस पर न तो बयानकर्ता का नाम अंकित है और न ही बयानफार्म पर उनके हस्ताक्षर है साथ ही दोनो बयान साईक्लोस्टाईल में दर्ज है, जिससे बयान की सत्यता पर सन्देह प्रकट होता है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में किसी भी गवाहों के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2009(2)DNJ(Raj) 982 Bhiya Ram vs State 730 Mangilal Meghwal vs state भी उपरोक्त तथ्यों का समर्थन करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कण्टालिया द्वारा मिसल संख्या 56/2000–01, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.06.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 केसाराम में पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2727 दिनांक 20.06.2002 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner